

दिनांक

आज्ञा पत्र

क्रमांक

26/10/23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 27/10/23 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आह्वानुसार दिनांक 6.11.23 को पेश हो।

6.11.23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 30/11/23 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आह्वानुसार दिनांक 06-11-23 को पेश हो।

30.11.23

पत्रावली पेश वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिरावत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रेसपोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गंभीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास चुनाव गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नया से कम होकर बाद तस्तीब तकमील दायित्व बफतर हो।

श्री-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प बुन्दारा)

